नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 107/2021
Dt- 10-03-2021

आदरणीया उप मुख्यमंत्री महोदया,

विषयः— **आपदा प्रबंधन विभाग की मानव जनित सामूहिक सड़क दुर्घटना को विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करने वाली अधिसूचना में सामुहिक के साथ एकल (सामूहिक/एकल) शब्द जोड़ने के संबंध में।**

"आपदा प्रबंधन विभाग के अधिसूचना सं0— 1418, दिनांक 17.04.2015 के अनुसार मानव जनित सामूहिक दुर्घटना यथा सड़क, रेल, वायुयान, गैस रिसाव जैसी दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करते हुए दिनांक 20.03.2015 से S.D.R.F/N.D.R.F द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मान दर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान देय है।"

मधुबनी जिलान्तर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र झंझारपुर में एन.एच. 57 एवं एन.एच. 527A सड़क विद्यमान है, जहाँ आये दिन दुर्घटना होना आम बात है। दुर्घटना के पश्चात विधि व्यवस्था को बनाने में प्रशासन को इस चुनौती से निबटना मुश्किल कार्य होता है। कारण है कि किसी एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात निकट के ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम कर अनुदान राशि की माँग करते है। अनुग्रह अनुदान में एकल मृत्यु का प्रावधान नहीं रहना ही प्रशासन के लिए परेशानी है।

सड़क दुर्घटना में मृत एकल व्यक्ति को भी अनुदान राशि देने का प्रावधान कर दिया जाए तो प्रशासन को विधि–व्यवस्था में परेशानी नहीं होगी, साथ ही मृतक के आश्रितों का भी हित होगा। आम जनता में यह धारणा है कि एकल मृत्यु में भी चार लाख रूपया अनुदान देने का प्रावधान है।

अतः अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन विभाग की जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए सामूहिक के साथ एकल शब्द समाहित कर नयी अधिसूचना जारी कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे।

सादर!

भवदीय

Nitish Mishra
10·3·21
(नीतीश मिश्रा)

सेवा में,
श्रीमती रेणु देवी जी,
माननीया उप मुख्यमंत्री
सह मंत्री,
आपदा प्रबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

NG 12/03/21

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in